



**कार्यालय :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- addlpcdfdevelopment@gmail.com, Phone & Fax No. 0651-2481813



पत्रांक : 01/यो0बजट-49सी0/2015- 594 दिनांक -05.05.2017

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमंडल, सिमडेगा/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल, लातेहार/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल, चाईबासा/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल, दुमका/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल, आदित्यपुर, जमशेदपुर।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2021-22 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत गैर-वनभूमि पर वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) के लिए कुल **रु0 18.749 लाख (अठारह लाख चोहत्तर हजार नौ सौ रुपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृतिदेश संख्या 4/यो0बजट-53/2015-33/स्वी0 व0प0 दिनांक-24.08.2015 एवं वन विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0बजट-53/2015-33/आ0 व0प0 दिनांक 06.04.2017 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406- वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष- 796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष-58-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबध के अंतर्गत आवंटित राशि से कुल **रु0 18.749 लाख (अठारह लाख चोहत्तर हजार नौ सौ रुपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601796580103	15.432
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601796580323	3.317
कुल :-		18.749

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुलग्नक-1 पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर अनुलग्नक-2 तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-3 पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या- पी0 19S240601796580103 तथा पी0 19S240601796580323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

h

4. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत दिशा-निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।

5. वन प्रमण्डलों द्वारा "स्थल विशेष प्राक्कलन" श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 की निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर एवं कार्य दरों पर तैयार किया जायेगा तथा प्राक्कलन पर वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या 564 दिनांक 18.02.2008 के अनुसार प्रशासनिक अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम वन पदाधिकारियों द्वारा प्रदान की जायेगी जिसकी प्रमण्डलवार समेकित प्रतिवेदन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास कार्यालय में समर्पित किया जाएगा।

नियंत्री तथा व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य प्रशासनिक स्वीकृति के अनुरूप ही रखा जायेगा तथा राशि का व्यय वास्तविक रूप से स्थल विशेष प्राक्कलन पर प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासनिक अनुमोदन तक सीमित रखा जायेगा।

6. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास होंगे। नियंत्री पदाधिकारी द्वारा योजनान्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से प्रत्येक माह वन एवं पर्यावरण विभाग को अवगत कराया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के नियंत्रक पदाधिकारियों एवं संबंधित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ वन संरक्षक द्वारा योजना के कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा।

7. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा एतद् संबंधी पत्र-परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

9. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

11. रोपित पौधों/ वृक्षों में जीवित पौधों की आवश्यकतानुसार जाँच/ सत्यापन असम्बद्ध प्रमण्डल से कराई जायेगी। वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का आँकड़ा वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

12. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

13. निकासी एवं ध्वजन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के निर्धारित दर तक सीमित रहेगा एवं भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा, साथ ही सामग्री के भुगतान में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-49सी0/2015- 594 दिनांक- 08.05.2017

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, दक्षिणी छोटानागपुर, राँची/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, संधाल परगना, दुमका/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर एवं पलामू हजारीबाग/एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-49सी0/2015- 594 दिनांक- 08.05.2017

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, सिमडेगा/कोषागार पदाधिकारी, लातेहार/ कोषागार पदाधिकारी, चाईबासा/ कोषागार पदाधिकारी, दुमका/ कोषागार पदाधिकारी, जमशेदपुर, जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-49सी0/2015- 594 दिनांक- 08.05.2017

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित वन संरक्षक, योजना अंचल, राँची/उप वन संरक्षक, योजना, जनजातीय क्षेत्र, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण योजना (पुरानी-भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना) (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) क अंतर्गत गैर-वनभूमि पर वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) का प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्रम सं०	कार्यालय/ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय वर्ष 2017-18		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
			10152.38	2182.40	12334.78
i	ii	iii	iv	v	vi
1	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, सिमडेगा	30	3.046	0.655	3.701
2	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, लातेहार	30	3.046	0.655	3.701
3	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, चाईबासा	30	3.046	0.655	3.701
4	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, दुमका	15	1.523	0.327	1.850
5	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, दुमका	35	3.553	0.763	4.316
6	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, आदित्यपुर, जमशेदपुर	12	1.218	0.262	1.480
योग :-		152	15.432	3.317	18.749

अपर प्रधान मन्त्री वन/संरक्षक/विकास

भारतखण्ड, राँची

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर प्रति हे०

योजना का नाम— भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना गैर-वन भूमि अंतर्गत वृक्षारोपण

पौधों की संख्या प्रति हे० : 1666

पौधों की दूरी : (3 मी० x 2 मी०)

मजदूरी दर 229.90 प्रति मानव दिवस

क्र०	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A) वित्तीय वर्ष 2017-18 में सम्पादन कार्य (तृतीय वर्ष)							
1	एक कोड़नी एवं निकौनी	हे०	23.00	5287.70	0.00	5287.70	
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि)		0.00	0.00	1892.40	1892.40	
3	पौधों की सुरक्षा (30 हे० तक)	हे०	12.16	2795.58	0.00	2795.58	
	पौधों की सुरक्षा (30 हे० से अधिक)						
4	गड़ढा घेरान की मरम्मत	हे०	6.00	1379.40	0.00	1379.40	
5	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	हे०	3.00	689.70	290.00	979.70	
योग :-			44.16	10152.38	2182.40	12334.78	

अपर प्रधान मुख्य वन सँरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2017-18 में आवंटित राशि की विवरणी :-

मॉग सं० - 19 वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग


मुख्य शीर्ष-2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी & 01 - वानिकी & 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना & 58 - अधिसूचित

वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण

Sl No	TREASURY	DDO CODE	DDO NAME	DDO DESG	19S240601796580103	19S240601796580323	Total
1	2	3	4	5	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	8
1	Simdega	SDGAIF002	Sri Niranjan Prasad Deo	Div. F O Soc. Forestry Simdega	3,04,600.00 (28294)	65,500.00 (28309)	3,70,100.00
2	Latehar	LTRFOR004	Arvind Kumar Gupta	D.F.O. Sfd Latehar	3,04,600.00 (28296)	65,500.00 (28311)	3,70,100.00
3	Singhbhum West	SGHFOR001	Sri. Laxmi Nath Barak	D.F.O.Social Forestry Div.Cbsa	3,04,600.00 (28300)	65,500.00 (28312)	3,70,100.00
4	Dumka	DMKFOR003	Nand Kishor Sharma (S.F.S)	D.F.O.S.F.Divdumka	5,07,600.00 (28304)	1,09,000.00 (28314)	6,16,600.00
5	Jamshedpur	JSRFOR116	Shashi Kumar	D.F.O. S.F.Div.Adityapur Jsr.	1,21,800.00 (28306)	26,200.00 (28315)	1,48,000.00

कुल आवंटित राशि :- 18,74,900.00 (vBkjg yk[k pkSgRrj gtkj ukS lkS) रुपये मात्र |

टिप्पणी :- (#) को आवंटन एक्सेस नंबर समझा जाए

(SHRI SATNAM SINGH BADHAWAN, IFS)
ADDL.PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI




आवंटन आदेश

आरक्षक सरकार

वर्ष 2017-18 में व्यय हेतु निम्नलिखित द्वारा गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पर संख्या - 01/yb-49c/15/594

दिनांक - 08-May-2

क्रमांक	विषय कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 58 - अधिवृक्षित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	28294	SDGAIF002 SRI NIRANJAN PRASAD DEO DIV. F O SOC FORESTRY SIMDEGA	304,600.00
State Scheme : Central Scheme :				
2	S 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 58 - अधिवृक्षित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	28296	LTRFOR004 ARVIND KUMAR GUPTA D.F.O. SFD LATEHAR	304,600.00
State Scheme : Central Scheme :				
3	S 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 58 - अधिवृक्षित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	28300	SGHFOR001 SRI. LAXMI NATH BARAIK D.F.O.SOCIAL FORESTRY DIV.CBSA	304,600.00
State Scheme : Central Scheme :				

913,800.00

योग

कृषिक योग:

रुपये नौ लाख तिरह हजार आठ सां


S. B. SINGH

क्रमांक	विषय कोड	एकरीज नं	निकासी एवं व्यवस्थापक	आवंटित राशि
4	S 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वन एवं भू-संरक्षण 03 - वन्य प्राणी	28304	DMKFOR003 NAND KISHOR SHARMA (S.F.S) D.F.O.S.F.DIVDUMKA	507,800.00 रुपये पाँच लाख सात हजार 800
State Scheme : Central Scheme :				
5	S 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वन एवं भू-संरक्षण 03 - वन्य प्राणी	28306	JSRFOR116 SHASHI KUMAR D.F.O. S.F.DIV.ADITYAPUR JSR.	121,800.00 रुपये एक लाख इकतीस हजार 800
State Scheme : Central Scheme :				
6	S 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक कार्य 23 - प्राकृतिक एवं माधमी	28308	SDGAIF002 SRI NIRANJAN PRASAD DEO DIV. F O SOC. FORESTRY SIMDEGA	65,500.00 रुपये पैंसठ हजार पाँच सौ
State Scheme : Central Scheme :				
योग:				694,900.00
अंतिम योग:				1,608,700.00

रुपये दोनह लाख अष्ट हजार सात सौ

क्रमांक	विषय कोड	एकरोस नं	निकासी एवं ध्वजन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा अन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अतिवृद्धि वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यवस्था 23 - आपूर्ति एवं वायव्यी	28311	LTRFOR004 ARVIND KUMAR GUPTA D.F.O. SFD LATEHAR	65,500.00 रुपये पैंसठ हजार पाँच सौ
	State Scheme Central Scheme :			
8	S 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा अन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अतिवृद्धि वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यवस्था 23 - आपूर्ति एवं वायव्यी	28312	SGHFOR001 SRI. LAXMI NATH BARAIK D.F.O.SOCIAL FORESTRY DIV.CBSA	65,500.00 रुपये पैंसठ हजार पाँच सौ
	State Scheme : Central Scheme :			
9	S 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा अन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अतिवृद्धि वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यवस्था 23 - आपूर्ति एवं वायव्यी	28314	DMKFOR003 NAND KISHOR SHARMA (S.F.S) D.F.O.S.F.DIVDUMKA	109,000.00 रुपये एक लाख नौ हजार
	State Scheme : Central Scheme :			

योग:

240,000.00

क्रमिक योग:

रुपये अठारह लाख अठ्ठासी हजार सत्त सौ

1,848,700.00


SHRI SATISH KUMAR

क्रमांक	विषय कोड	एकरीत नं	निकासी एवं व्यवस्थापक पदा,	आवंटित राशि
10	S 19 240601796580323 2406 - वारिशी तथा अन्य शाची 01 - वारिशी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपरोक्त 58 - अधिसूचित क्षेत्र भूमि वन वृक्षारोपण एवं वृक्ष-संरक्षण 03 - प्रशासनिक खर्च 23 - शोधन एवं प्रशिक्षण	28315	JSRFOR116 SHASHI KUMAR D.F.O. S.F DIV ADITYAPUR JSR.	26,200.00 रुपये छम्बीस हजार दो सौ



State Scheme :

Central Scheme :

योग:

26,200.00

क्रमिक योग:

रुपये अठ्ठारह लाख चौल्लह हजार दो सौ

1,874,900.00

(Signature)